संख्याः–11/2015–555/नौ–5–15–10बजट/2015

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 13 फरवरी ,2015

विषयः–वित्तीय वर्ष–2014–15 में नगर पंचायत रिछा जनपद बरेली की पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (नागर) उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र संख्या–25/नागर–2/033–304/15 दिनांक 22.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत रिछा जनपद बरेली की पेयजल योजना की निर्धारित लागत रू0 74.25 लाख (रु0 चौहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रुप में रु0 37.13 लाख (रु0 सैतीस लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने पर श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
(2) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपोजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।
(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि आहरण सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग करने तथा भौतिक प्रगति एवं कार्यो की गुणवत्ता की पुष्टि करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाये।
(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
(8) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसकी पुष्टि कर ली जाय।
(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2. वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

2/-

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई 01- जलपूर्ति -193- नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों य उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35- पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान " के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या :-11/2015-555 (1)/नौ-5-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ.प्र. इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/बरेली।
3. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
6. वित्त(ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8. मुख्य अभियन्ता (मुरा0क्षे0), उ.प्र. जल निगम, मुरादाबाद।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि./यां.) उ0प्र0 जल निगम, बरेली।
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत रिछा जनपद बरेली।
12. नियोजन अनुभाग-3/4
13. सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
14. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-13/02/2015

प्रेषण संख्या:- 11-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-11-2015-555-9-5-15-10Budget-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों के पेयजल कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	3713000 14244000	3713000 14244000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3713000 14244000	3713000 14244000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सैंतीस लाख तेरह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ बयालीस लाख चौवालीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव